5/12/19

वकील वादी के आवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। वादी एवं उप०। वकील वादी ने निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है तथा वादी अपने वाद को चलाना नहीं चाहते हैं अतः जरिये निर्णय वादी का वाद खारिज किया जावे।

वकील वादी के कथन का रेकर्ड का अवलोकन किया। वादी अपने वाद को चलाना नहीं चाहते हैं अतः जरिये निर्णय वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली मय रुयार होकर दाखिलदफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2019.12.20 18:53:54 IST
Reason: SelfAttested